कार्यालय कलेक्टर, जिला महासमुंद (छ.ग.)

संशोधित विज्ञापन

क्रमांक 2236/क/वि–स्था/2013. महासमुंद, दिनांक 26 अगस्त, 2013

स्टेनो टायपिस्ट के रिक्त पदों पर भर्ती.

राजस्व विभाग के अंतर्गत जिला प्रशासन हेतु महासमुंद जिले के लिए ''स्टेनो टायपिस्ट'' के 5 पदों पर भर्ती हेतु छ.ग.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9–1/2008/1–3, दिनांक 28 नवम्बर, 2011 द्वारा निर्धारित शैक्षणिक व तकनीकी अर्हता के अनुरूप विज्ञप्ति क्रमांक 848/क/वि–स्था/2012, दिनांक 15.02.2012 समाचार पत्रों मे व जिला कार्यालय की वेबसाईट पर प्रकाशित कर छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। निर्धारित अर्हताओं में परीक्षणोपरांत सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा परिपत्र क्रमांक एफ 9–1/2008/1–3, दिनांक 01 फरवरी, 2013 जारी कर ''स्टेनो टायपिस्ट'' के पद हेतु शैक्षणिक एवं तकनीकी अर्हता में संशोधन किए जाने तथा पत्र क्रमांक एफ 13–14/2009/आ.प्र./1–3, दिनांक 04.12.2012 द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन नियम, 2012 लागू किए जाने के फलस्वरूप पूर्व में प्रकाशित विज्ञप्ति के संदर्भ में प्राप्त आवेदनों तथा इस संबंध में लंबित प्रक्रिया को निरस्त करते हुए उसके स्थान पर संशोधित विज्ञप्ति जारी कर निम्नानुसार योग्यता धारित करने वाले छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी/मूल निवासी उम्मीदवारों से नीचे तालिका में दर्शाए विवरण के अनुसार निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 9 सितम्बर, 2013 तक आमंत्रित किए जाते हैं। विस्तृत जानकारी जिला कार्यालय के सूचना पटल पर व वेबसाईट "http://mahasamund.gov.in"/ "http://cg.nic.in/mahasamund" में भी देखी जा सकती हैः–

(1) स्टेनो टायपिस्ट पुनरीक्षित वेतन बैंड 5200–20200+G.P 1900

क्र.	विवरण.	अ.जा.	अजजा.	अपिव.	अनारक्षित	योग.
1.	कुल संख्या.	01	01	01	02	05
2.	महिला.	–	–	–	01	01
3.	मुक्त.	01	01	01	01	04
योग		01	01	01	02	05

(2) शैक्षणिक योग्यता व अन्य अर्हताएंः–

1–मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण.

अथवा

पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण.

2–हिन्दी शीघ्रलेखन में 60 शब्द प्रतिमिनट की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)

3–मान्यता प्राप्त संस्था से डॉटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तथा डॉटा एन्ट्री की गति 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घण्टा (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)

(3) निर्धारित आयु सीमाः– अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2013 को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो।

उच्चतर आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों के तहत् निम्नानुसार छूट की पात्रता होगीः–

1— यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का होकर राज्य का मूल निवासी है, तो उसे उच्चतर आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट दी जाएगी.

2— छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 के अनुसार महिलाओं के लिए उच्चतर आयु में 10 वर्ष की छूट होगी.

3— विधवा, परित्यकता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिये उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी.

5— परिवार कल्याण कार्यक्रम के अतर्गत अपने नाम पर ''ग्रीनकार्ड'' धारण करने वाले आवेदकों (छत्तीसगढ़ राज्य के आवेदकों) को उच्चतर आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट दी जाएगी.

6— आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी—3/10/85/3/1, दिनांक 28.06.1985 के संदर्भ में उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी.

7— राज्य (छत्तीसगढ़ राज्य) में प्रचलित ''शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं'' को सामान्य उच्त्तर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी.

8— विकलांग आवेदकों को उच्चतर आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी.

9— छत्तीसगढ़ राज्य के स्थायी/अस्थायी कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मण्डलों आदि के कर्मचारियों के संबंध मे उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी.

10— छ.ग.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3—2/2002/1—3, दिनांक 30. 01.2012 के अनुसार संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को शासकीय सेवा में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है। यह छूट अधिकतम 38 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी.

महत्वपूर्ण टीपः— (1) छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ—3—2/2002/1/3, दिनांक 15.06.2010 के द्वारा जारी किए गए निर्देश के पैरा (3) के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी आवेदकों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी, परन्तु उक्त परिपत्र के पैरा (5) के अनुसार अन्य विशेष वर्ग जैसे—छत्तीसगढ़ के निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर), महिला आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है वे छूट यथावत् लागू रहेगी, तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय—समय पर जारी निर्देशों के आधार पर उममीदवारों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूटों को सम्मिलित करने के बाद शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नही होगी. (2) आयु की गणना दिनांक 01.01.2013 के संदर्भ में की जाएगी।

(4) आवेदन पत्र भरने संबंधी शर्तें/निर्देशों/जानकारीः—

1— आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वास्तविक निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करें.

2— आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा जिसकी सत्यापित प्रति संलग्न करें.

3— आयु सीमा मे छूट के संबंध में प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति आवेदन के साथ संलग्न होना आवश्यक है.

4— आवेदन पत्र में नियत स्थान पर राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित हाल ही के पासपोर्ट साईज का फोटो अनिवार्य रूप से चिपकायें.

5— आवेदक को आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी अर्हता, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा.

6— आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र मे दिनांक 9 सितम्बर, 2013 तक ''कार्यालय कलेक्टर, बी.टी.आई. रोड, जिला महासमुंद (छ.ग.) Pin Code 493445'' के पते पर केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा स्पीड पोस्ट

से भेजना अनिवार्य होगा हाथों–हाथ आवेदन पत्र स्वीकार नही किए जाएंगे। जो आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ प्रकाशित प्रपत्र एवं शर्तों के अनुसार नही होंगे उस पर विचार नही किया जाएगा.

7– विज्ञप्ति जारी दिनांक के पूर्व तथा अंतिम तिथि के पश्चात कार्यालय में प्राप्त आवेदनों पर विचार नही किया जावेगा.

8– उपरोक्त विज्ञापित पदों की संख्या में कमी–वृद्धि की जा सकती है.

9– आवेदक लिफाफे के उपर आवेदित पद का नाम (स्टेनो टायपिस्ट) तथा आवेदक का नाम व पता अवश्य लिखें। साथ ही अभ्यर्थी को स्वयं का पता लिखा 5/–रू. का डाक टिकिट लगा एक खाली लिफाफा 9'×4' के आकार का अनिवार्य रूप से आवेदन के साथ संलग्न करना होगा.

10– आवेदक आवेदन करने के पहले विज्ञापन में दर्शित आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताओं के अनुरूप अपनी अर्हता की जांच स्वयं सुनिश्चित कर लें एवं अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने की स्थिति से पूर्णतया संतुष्ट होने पर ही वे आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र बिना कोई सूचना दिये निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जाएगी।

12– ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय संस्था मे सेवारत हैं उन्हें अपना आवेदन पत्र नियोक्ता/विभाग प्रमुख के माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.

13– किसी भी प्रवर्ग के महिला अभ्यर्थी न होने की दशा में उसी प्रवर्ग के पुरूष अभ्यर्थी से पद की पूर्ति की जावेगी.

14– चयन उपरांत यदि कोई जानकारी असत्य पायी जाती है तो की गयी नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी तथा संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी.

15– अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिए जाएंगे। ऐसे आवेदन पत्रों के संबंध में कोई सूचना नही दी जावेगी.

16– छ.ग.सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8 के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाएगा.

17– विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तें/निर्देश/जानकारी आदि के निर्वचन (Interpretation) का अधिकार ''कलेक्टर, जिला महासमुंद'' का रहेगा एवं इस संबंध में किसी अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मान्य नही किया जाएगा एवं कलेक्टर द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा अभ्यर्थी पर बंधनकारी होगा.

19– विज्ञप्ति से संबंधित जानकारी जिला कार्यालय की वेबसाईट "http://mahasamund.gov.in" / "http://cg.nic.in/mahasamund" में देखी जा सकती है.

(5) नियुक्ति के लिए अपात्रताः–

1– कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा.

2– कोई भी उम्मीदवार जिसके दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा। परन्तु कोई भी उम्मीदवार, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, नियुक्ति के लिए निरर्हित नही होगा।

(6) चयन प्रक्रियाः–

उपरोक्त पदों के लिये उम्मीदवारों से प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच के पश्चात अर्हताधारी उम्मीदवारों को निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक के मेरिट आधार पर आवेदनों की शॉर्ट लिस्टिंग कर उस क्रम के अनुसार रिक्त पदों के श्रेणीवार 05 गुना उम्मीदवारों की प्राविधिक मेरिट सूची तैयार कर दक्षता/कौशल/प्रायोगिक परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा। तदुपरांत शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक व प्रायोगिक परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर अंतिम चयन सूची जारी की जावेगी।

कलेक्टर
महासमुंद

आवेदन पत्र का प्रारूप.

प्रति,

कलेक्टर,
जिला महासमुंद (छ.ग.)

(1) आवेदित पद का नाम. ——————————————
(2) आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) ——————————————
(अंगेजी में) ——————————————
(3) पिता/पति का नाम. ——————————————
(4) (अ) जन्म तिथि अंको में ——————————————
(ब) शब्दों में. ——————————————
(स) दिनांक 01.01.2013 को आयु. वर्ष————माह———दिन————
(5) लिंग (पुरूष/महिला) ——————————————
(6) शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता.

क्र.	परीक्षा का नाम	बोर्ड/वि.वि. का नाम.	उत्तीर्ण करने का वर्ष.	कुल अंक.	प्राप्तांक.	प्रतिशत.
1	2	3	4	5	6	7

(7) पत्र व्यवहार का वर्तमान पूर्ण पता. ——————————————
——————————————
——————————————
(8) स्थायी पता. ——————————————
——————————————
——————————————
(9) रोजगार कार्यालय का नाम एवं जीवित पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक. (सत्यापित प्रति संलग्न करें) ——————————————
——————————————
(10) क्या आप शासन द्वारा मान्य अजा/अजजा/अपिव. के सदस्य है ? यदि हां तो उल्लेख करें। ——————————————
——————————————
(11) क्या आवेदक छ.ग.राज्य का मूल निवासी है ? (यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करे) ——————————————
(12) क्या आवेदक भूतपूर्व सैनिक है ? यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित संलग्न करे. ——————————————
(13) क्या आवेदक विकलांग है ? यदि हां तो विकलांगता संबंधी जिला मेडिकल बोर्ड के सत्यापित प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करे. ——————————————
(14) विकलांगता का प्रकार एवं प्रतिशत. ——————————————
(15) क्या आवेदक विवाहित है ? हां/नहीं. ——————————————
(16) यदि विवाहित हैं तो विवाह की तिथि. ——————————————
(17) जीवित संतान की संख्या ——————————————
(18) यदि दो से अधिक जीवित संतान है तब अंतिम संतान की जन्मतिथि ——————————————
(19) संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची. 1———2———3———4———5———

दिनांकः :— ——————
स्थान :— ——————

आवेदक के हस्ताक्षर
एवं नाम.

घोषणा.

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूं कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि झूठे पायी जाती है, तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किये जाने योग्य होगी।

दिनांक :— ——————
स्थान :— ——————

आवेदक के हस्ताक्षर